



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

[प्रेस विज्ञप्ति](#)

[दिनांक-11.03.2025](#)

प्रेस नोट

थाना कांधला पुलिस द्वारा 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चरस बरामद:-

आज दिनांक 11.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 02 मादक पदार्थ तस्करों को अवैध 230 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.हसीन पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला रायजागदान थाना कांधला जनपद शामली (110 ग्राम चरस)
- 2.रिजवान पुत्र इकराम निवासी मौहल्ला खेल थाना कांधला जनपद शामली (120 ग्राम चरस)

बरामदगी का विवरण:-

अवैध 230 ग्राम चरस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना कांधला जनपद शामली।
- 2.है0का0 सचिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली।
- 3.है0का0 तनुज कुमार थाना कांधला जनपद शामली।



प्रेस नोट

"आपरेशन क्लीन" अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना प्रांगण में खडे लावारिस कुल 25 वाहन को नीलाम कराये जाने के संबंध मे:-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन क्लीन" अभियान के क्रम में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनांक 16.11.2023 में गठित समिति व जिलाधिकारी शामली व पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक के निर्देशन में जनपद शामली के थाना कोतवाली शामली पर विगत कई वर्षों से खडे लावारिस/सीजशुदा/मुकदमाती वाहनों की नीलामी हेतु एक संयुक्त टीम गठित की गयी, जिसमें में श्री विनय प्रताप भदौरिया (उपजिला मजिस्ट्रेट), क्षेत्राधिकारी नगर शामली श्री अमरदीप मोर्य, सम्भागीय परिवहन अधिकारी श्री रोहित कुमार राजपूत व थानाध्यक्ष कोतवाली शामली मौजूद रहे। गठित टीम की मौजूदगी में आज दिनांक 11.03.2025 को थाना कोतवाली शामली पर 25 लवारिस वाहन (04 वाहन चार पहिया, 21 वाहन दो पहिया) को थाना प्रांगण में बोली दाताओं के साथ मूल्यांकन कर नीलामी कराई गई। 25 वाहनो के न्यूनतम मूल्य 5,90,000 रुपये के सापेक्ष अधिकतम बोलीदाता श्री रजत गोयल पुत्र श्री अनिल गोयल निवासी दिल्ली रोड शामली के द्वारा सबसे अधिक बोली 5,90,000 लाख रुपये नीलाम हुए वाहनों से राजस्व के रूप में प्राप्त हुई।

प्रेस नोट

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 06 अलग-अलग मामलों में 05 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 24,700/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

- 1.-वर्ष 2018 में अभियुक्त विनोद पुत्र जयवीर निवासी खेड़की थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना गढीपुख्ता पर मु0अ0सं0 306/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
2. - वर्ष 2019 में अभियुक्त विनोद पुत्र जयवीर निवासी खेड़की थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना गढीपुख्ता पर मु0अ0सं0 76/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 3,200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
- 3.- वर्ष 2017 में अभियुक्त कुर्वान पुत्र हनीफ निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 387/17 धारा 379/411 भादवि0 व 4/21 खनन अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कोर्ट कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 6000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
- 4.- वर्ष 2004 में अभियुक्त अबिद पुत्र यासीन तेली निवासी ग्राम गढीदौलत थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 415/2004 धारा 4/25 आर्म एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कोर्ट कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
- 5.- वर्ष 2012 में अभियुक्त दीन मौहम्मद पुत्र इस्माइल उर्फ आस्मीन निवासी ग्राम अकबरपुर सुनहैटी थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 47/2012 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज

दिनांक 11.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कोर्ट कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

6.- वर्ष 2006 मे अभियुक्त एहतेशाख पुत्र शकील निवासी मौहल्ला पीरजादगान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 469/2006 धारा 292/52ए/62 कॉपीराइट व 3/5 चलचित्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम मे आज दिनांक 11.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कोर्ट कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त करावास का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI